

462

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र	RAJASTHAN GAZETTE
	विशेषांक	Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 30, शुक्रवार, शाके 1930—जून 20, 2008 Jyaistha 30, Friday, Saka 1930—June 20, 2008	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 18, 2008

एस.ओ. 112:—राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 5) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान (आर.आई.डी.सी.ओ.आर.) के साथ निम्नलिखित सड़कों के विकास के लिए एक करार किया है :—

1. अलवर से भिवाड़ी
2. झालावाड़ से झालावाड़ रोड
3. अर्जुनसर से पल्लू

यतः अब, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उपर्युक्त सड़कों या उनके किसी भाग/अनुभाग के उपयोक्ताओं से, इसमें इसके पश्चात् विहित दर से फीस उद्गृहीत करेगी।

यतः अब, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुसार, राज्य सरकार सड़क अनुभागों के विकास में अन्तर्वलित व्यय और फीस के संग्रहण, विनिहित पूंजी पर ब्याज, किये गये विनिधान पर के युक्तियुक्त प्रत्यागम और यातायात के परिमाण पर विचार करने के पश्चात् इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में उक्त सड़कों के उपयोक्ताओं से मोटरयुक्त/यांत्रिक यानों पर नीचे दी

गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत और संग्रहित की जायेगी और आर.आई.डी.सी.ओ.आर. को उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार उपयोक्ता फीस संगृहीत करने और फीस संग्रहण की तारीख से ही और परियोजना कालावधि की समाप्ति तक उक्त उपयोक्ता फीस रखने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

फीस, ऊपर वर्णित सड़कों पर स्थित उपयोक्ता फीस प्लाजाओं पर संगृहीत की जायेगी।

01-04-2007 को यथा प्रवर्तनीय टोल फीस की दरें निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	यानों के प्रकार	पुलों, सुरंगों और उन बाईपासों और सड़कों के लिए जिनकी लम्बाई 20 कि.मी. तक है, प्रति फेरा प्रति यान फीस की दरें (रु. में)	उन बाईपासों और सड़कों के लिए जिनकी लम्बाई 20 कि.मी. से अधिक है स्तम्भ-3 में वर्णित दरों के पश्चात् संदेय प्रति फेरा/कि.मी. फीस की दरें (प्रति कि.मी. रु. में) (प्रथम 20 कि.मी. तक स्तम्भ-3 की नियत दरें लागू होंगी)
1	2	3	4
1.	(क) गैर-कृषि उपज का वहन करने वाले ट्रैक्टीर (कृषि उपज का वहन करने वाली और ऐसे प्रयोजन	4.62	0.12

1	2	3	4
	के लिए रजिस्ट्रीकृत ट्रेक्टर ट्राली द्वारा कोई कर संदेय नहीं होगा।)		
	(ख) टेम्पो, कार, टैक्सी, प्राइवेट कार, जीप	15.40	0.39
2.	मोटर लारी, बस, मिनीबस और अन्य भारी मशीनरी	38.50	0.99
3.	(क) 5 (पाँच) टन रजिस्ट्रीकृत लदान सहित वजन के ट्रक	52.36	1.29
	(ख) 5 (पाँच) टन से अधिक रजिस्ट्रीकृत लदान सहित वजन के ट्रक	78.54	1.96
4.	बहुधुरीय ट्रक/ट्रेलर	129.36	3.25

टिप्पणी:—

1. लदान सहित और लदान रहित यानों से फीस प्रभारित की जायेगी।
2. उक्त दरें प्रत्येक दो वर्ष में 10% बढ़ाई जाकर रु. 5 के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित की जायेंगी।
3. निम्नलिखित यानों के सम्बन्ध में कोई फीस संदेय नहीं होगी या संगृहीत नहीं की जायेगी :—
 - रक्षा विभाग के यान
 - पुलिस विभाग के यान
 - अग्नि शमन यान
 - एम्बुलेंस
 - अंत्येष्टि यान
 - केन्द्रीय और राज्य सरकार के यान
 - माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के यान
 - संसद और विधान सभाओं के आसीन सदस्यों के यान

- संघ लोक सेवा आयोग के यान
 - राज्य लोक सेवा आयोग के यान
 - लोकायुक्त, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के यान
 - प्रत्यायित पत्रकारों द्वारा उनके उपयोग के हल्के मोटरयान
4. आनुपातिक फीस का भाग विशिष्ट सड़क प्रसार में प्रस्तावित सड़क की लम्बाई के 50 प्रतिशत से अधिक के संनिर्माण के पश्चात् ही उद्गृहीत किया जायेगा
5. आर.आई.डी.सी.ओ.आर. इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवायेगा। (जिनमें एक जन भाषा का समाचार-पत्र होगा), जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार, फीस संग्रहण की तारीख भी फीस संग्रहण तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व वर्णित करेगा। ऐसा सार इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभाव में लाने से कम से कम दस दिन पूर्व प्रत्येक फीस पुनरीक्षण के समय दोहराया भी जायेगा।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :-

- (1) "फीस संग्रहण तारीख" से आर.आई.डी.सी.ओ.आर. के साथ किये गये करार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वह तारीख अभिप्रेत है जिससे किसी सड़क या उसके भाग के उपयोक्ताओं से फीस संगृहीत की जायेगी।
- (2) "परियोजना कालावधि" से जी.ओ.आर., आर.आई.डी.सी.ओ.आर. और आई. एल. एवं एफ. एस. (इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एवं फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड) के बीच किये गये भागीदारी और विकास करार के चालू रहने के दौरान की कालावधि अभिप्रेत है।

[संख्या प.8(22)सानि/2004(A)]

सागर मल मीणा,
उप शासन सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, June 18, 2008**

S.O. 112.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Road Development Act, 2002 (Act No. 5 of 2002), the State Government has entered into an agreement with Road Infrastructure Development Company of Rajasthan (RIDCOR) for development of the following Roads :—

1. Alwar to Bhiwadi
2. Jhalawar to Jhalawar Road
3. Arjunsar to Pallu

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Road Development Act, 2002, the State Government, shall levy fees, at rates prescribed hereinafter, on the users of the above Roads or in any part/section thereof.

NOW THEREFORE, as per sub-section (2) of section 5 of Rajasthan Road Development Act, 2002, the State Government having considered the expenditure involved in the development of road sections and collection of fees, interest on the capital invested, reasonable return on investment made and the volume of traffic, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on motorized/mechanical vehicles from the users of the said roads in the State of Rajasthan at the rates specified in the Schedule below, and authorizes RIDCOR to collect user fees in accordance with the rules made under the said Act and retain the said user fees on and from the Fees Collection Date and till the termination of Project Period.

SCHEDULE

The fees shall be collected at user fees plazas located on the roads mentioned above.

Rates of the toll fee enforceable as on 01-04-2007 is as below:—

S. No.	Categories of Vehicle	Fee rates per vehicle per trip for bridges, tunnels & those bye-passes and roads whose length is upto 20 km. (in Rs.)	Fee rates per trip/km. payable after rates stated in Col. 3 for those bye-passes and roads whose length is more than 20 kms. (upto first 20 kms. the fixed rates of Col. 3 shall be applicable) (Rs. per km.)
1	2	3	4
1.	(a) Tractors with trolleys carrying non-agricultural produce (No Tax is payable by tractor trolleys carrying agricultural produce and registered for such purpose)	4.62	0.12

1	2	3	4
	(b) Tempo, Cars, Taxis, Private Cars, Jeeps	15.40	0.39
2.	Motor lorries, Buses, Minibuses and other heavy machinery	38.50	0.99
3.	(a) Trucks with registered laden weight upto 5 (five) tones	52.36	1.29
	(b) Trucks with registered laden weight more than 5 (five) tones	78.54	1.96
4.	Multi-axle trucks/trailors	129.36	3.25

Note :—

1. Fees shall be charged for laden and un-laden vehicles.
2. The above rates shall be increased by 10% every 2 years, rounded off to the nearest multiple of Rs. 5.
3. No fee shall be payable or collected in respect of the following vehicles namely:—
 - Vehicles of Defence Department
 - Vehicles of Police Department
 - Fire Fighting Vehicles
 - Ambulances
 - Funeral Vehicles

- Central and State Government Vehicles
 - Vehicles of Hon'ble Supreme Court and High Courts
 - Vehicles of sitting Members of Parliament and State Legislatures
 - Vehicles of Union Public Service Commission
 - Vehicles of State Public Service Commission
 - Vehicles of Lok Ayukta, Panchayat Samities and Local Bodies
 - Light motor vehicles of Accredited Journalists used by themselves
4. The part of proportionate fee shall be levied only after construction of more than 50 percent road length proposed in the particular road project.
5. RIDCOR shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the Fees Collection Date, as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the Fees Collection Date. Such substance shall also be repeated every time of fee revision, at least ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

Explanation :— For the purpose of this notification :—

1. "Fee Collection Date" means the date notified by the State Government as per agreement entered into with RIDCOR

from which the fees shall be collected from the users of any road or part thereof.

2. "Project Period" means the period during the currency of the Partnership and Development Agreement entered into amongst GOR, RIDCOR and IL & FS (Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.)

[No. F.8(22)PW/2004(A)]

सागर मल मीणा,
Deputy Secretary to Government,
Public Works Department,
Govt. Sectt., Jaipur.

Government Central Press, Jaipur.